न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

मदनसिंह बनाम भूमिधारी तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्रा०पत्र 136 व 131 एल. आर. एक्ट. प्र.नं. 127/23	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
09.02.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर बहस वकील प्रार्थीगण एकपक्षीय सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार की जाती है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Rathore 09/02/24 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2024.02.23 12:44:09 IST Reason: SelfAttested	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज.
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
127/2023	2023/1203	01.11.2023	09.02.2024

उनवान प्रकरण

1. मदनसिंह पुत्र केशरसिंह आयु 80 वर्ष
2. विक्रमसिंह उर्फ शंकरसिंह पुत्र हरिसिंह आयु 40 वर्ष
3. सज्जनसिंह पुत्र हरिसिह आयु 38 वर्ष
4. दीपेन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंह आयु 35 वर्ष

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना

—— प्रार्थीगण——

बनाम्

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर
2. राजेन्द्रसिंह पुत्र गुलाब कवंर पत्नी दौलतसिंह उर्फ हरिसिंह
3. हनुमान सिंह पुत्र गुलाब कवंर पत्नी दौलतसिंह उर्फ हरिसिंह
4. बजंगरसिंह पुत्र गुलाब कवंर पत्नी दौलतसिंह उर्फ हरिसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 12:44:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

09/02/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम मुआना तहसील नांवा जिला नागौर

5. प्रेमकंवर पुत्री भोपालसिंह पत्नी प्रहलादसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मुआना तहसील नांवा जिला नागौर

6. राजकंवर पुत्री भोपालसिंह पत्नी चैनसिंह जाति राजपूत निवासी इन्दौखा तहसील नांवा जिला नागौर

7. संतोष कंवर पुत्री भोपालसिंह पत्नी गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मुहाना तहसील नांवा जिला नागौर

8. सायरकंवर पुत्री भोपालसिंह पत्नी मगनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दलीलपुरा तहसील नांवा जिला नागौर

—अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 प्रार्थीगण अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 एल0 आर0 एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ई0

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 12:44:09 IST
Reason: SelfAttested

—:: निर्णय ::—

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136, 131 एल0 आर0 एक्ट खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना के पुराने खसरा नम्बर 840 रकबा 1 बीद्या 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 841 रकबा 18 बिस्वा जिसकी खातेदारी वरवक्त प्रथम जमाबंदी मदनसिंह पुत्र केसरसिंह, भोपालसिंह, नारायणसिंह पुत्र सुजानसिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड रही है। उक्त वर्णित भूमियो की द्वितीय सैटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान की गयी कार्यवाही से पहले लिसाड़िया–श्रीमाधोपुर मुख्य सड़क बनी थी। जिस कारण राजस्व कर्मचारियो द्वारा कतई गलत रूप से सैटलमेन्ट की कार्यवाही करते हुये पुराने खसरा नम्बर 840 के कुल रकबा 1 बीद्या 15 बिस्वा अर्थात 0.4375 हैक्टर भूमि होती हैं। जिससे नवीन खसरा नम्बर 1092 रकबा 0.13 हैक्टर भूमि की खातेदारी प्रार्थीगण के बजाय भू प्रबन्धक अधिकारी द्वारा रूड़मल, मूलचन्द पुत्रगण गोपीराम जाति जांगिड़ निवासी खुरन्पुरा तहसील श्रीमाधोपुर के नाम कर दी गयी हैं व सड़क में गया रकबा 7 बिस्वा अर्थात 0.0875 हैक्टर जिसका मुआवजा दिया गया। इस प्रकार कुल रकबे में से 0.2175 हैक्टर कम करने के बाद भूमि प्रार्थीगण के खाते में 0.22 हैक्टर रहनी चाहिये थी जबकि राजस्व कर्मचारियो ने उक्त रकबे को गैर मुमकिन नदी नये खसरा नम्बर 1253 के रकबे मे कतई गलत रूप से मर्ज कर दिया है व पुराने खसरा नम्बर 841 रकबा 18 बिस्वा कुल रकबा 0.02250 हैक्टर बनता हैं में से 0.0375 हैक्टर भूमि सड़क पर चली जाने के बाद शेष बची भूमि 0.1875 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण के के खाते में रहनी चाहिये थी जबकि राजस्व कर्मचारियो के द्वारा सम्पूर्ण कुल रकबा 0.1875 + 0.22 हैक्टर कुल 0.4075 हैक्टर भूमि को नवीन खसरा नम्बर 1253 गै.मु. नदी के रकबे में मर्ज कर दिया गया है जो कि कतई गलत है। उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण के हक हिस्से एंव खातेदारी की भूमिया पुराने नक्शे व पुरानी खातेदारी के अनुसार नहीं होने से प्रार्थीगण को सख्त हकतल्फी हैं। प्रार्थीगण अपने हक हिस्से व खातेदारी की भूमि से महरूम हो रहे है। इस कारण उपरोक्तानुसार खातेदारी में शुद्ध किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 एल.आर.एक्ट. पेश कर ग्राम लिसाडिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 12:44:09 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

तहसील श्रीमाधोपुर के पुराने भूमि खसरा नम्बर 840 कुल रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल रकबा 0.4375 हैक्टर भूमि में से सड़क में गया रकबा 0.875 हैक्टर व खातेदारी मे रहा खसरा नम्बर 1092 रकबा 0.13 हैक्टर कुल रकबा 0.22 हैक्टर व शेष रकबा जो कम हुआ रकबा 0.22 हैक्टर व खसरा नम्बर 841 का रकबा 18 बिस्वा जिसका क्षेत्रफल 0.2250 हैक्टर जिसमें सड़क में गयी 0.0375 हैक्टर भूमि व शेष बची भूमि 0.1875 हैक्टर इस प्रकार 0.22 + 0.1875 कुल 0.4075 हैक्टर भूमि जो पुराने नक्शे खसरा नम्बर 841 व 842 के अनुसार नवीन खसरा नम्बर 1253 अर्थात पुराने नक्शे अनुसार प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए इसी अनुसार नक्शे में तरमीम किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने का निवेदन प्रार्थीगण ने अपने द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में किया गया हैं।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 8 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से होकर लौटी है। जो पर्याप्त है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 43/भू0अ0/2024 दिनांक 09.01.2024 के द्वारा तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पटवारी हल्का लिसाड़िया से प्राप्त मूल रिपोर्ट को अग्रिम कार्यवाही हेतु इस न्यायालय को भिजवाई गई है। उक्त जॉच रिपोर्ट में पटवारी हल्का लिसाड़िया ने अवगत कराया है कि ग्राम लिसाड़िया के भूमि खसरा नम्बर 840 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्ब्र 841 रकबा 18 बिस्वा कुल किता–2 कुल रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा जिनके नवीन खसरा नम्बर मुताबिक मिलान क्षेत्रफल 1092 रकबा 0.13 हैक्टर बनाकर खातेदारों के नाम दर्ज की हुई है। पुराने खसरा नम्बर 840 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा में से 7 बिस्वा भूमि सडक में अवाप्त की गई व खसरा नम्बर 841 रकबा 18 बिस्वा में से 3 बिस्वा भूमि सडक में अवाप्त की गई। इसी प्रकार खसरा नम्बर 840 व 841 में से कुल 10 बिस्वा भूमि सडक में अवाप्त की गई तथा उसका मुवावजा भुगतान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 12:44:09 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

किया गया। शेष रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा में से 10 बिस्वा (0.13 हैक्टेयर) की खातेदारी में दर्ज कर दि गई व शेष 1 बीघा 13 बिस्वा(लगभग 0.41 हैक्टेयर) भूमि खातेदारी के दर्ज न करके खसरा नम्बर 1253 गै. मु. नदी के नक्शे में शामिल कर दिया गया। उक्त 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि (लगभग 0.41 हैक्टेयर) खसरा नम्बर 1253 के नक्शे में तरमीन कर खातेदारों के नाम दर्ज किया जाना उचित होगा। अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 136, 131 एल0 आर0 एक्ट को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी 2074–2077, खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 1 से 2074 से 2077, भूमि अवाप्ति में सडक का मुआवजा का विवरण, भूमि अवाप्ति भूमिधारी द्वारा बनाया गया नक्शा, नजरी नक्शा ट्रेस, पुरानी जमाबंदी खतौनी संख्या 290/257 संख्या 2034 से 2036 व 291/259 संख्या 2034 से 2036 भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, रिपोर्ट पटवारी हल्का लिसाडिया व अभिशंषा रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर इत्यादि का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का लिसाडिया की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम जिनमें लिसाडिया के भूमि खसरा नम्बर 840 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 841 रकबा 18 बिस्वा कुल किता–2 कुल रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा नवीन खसरा नम्बर मुताबिक मिलान क्षेत्रफल 1092 रकबा 0.13 हेक्टर बनाकर खातेदारों के नाम दर्ज होना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 12:44:09 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रकट होता है। पुराने खसरा नम्बर 840 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा में से 7 बिस्वा भूमि व खसरा नम्बर 841 रकबा 18 बिस्वा में से 3 बिस्वा भूमि सडक में अर्थात खसरा नम्बर 840 व 841 में से कुल 10 बिस्वा भूमि श्रीमाधोपुर से अजीतगढ जाने वाली सडक में अवाप्त की जाकर उसका मुआवजा भुगतान किया जाना रिकार्ड से प्रमाणित होता है एवं शेष रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा में से 10 बिस्वा (0.13 हैक्टेयर) की खातेदारी में दर्ज किया जाना व शेष 1 बीघा 13 बिस्वा(लगभग 0.41 हैक्टेयर) भूमि खातेदारों के नाम दर्ज नहीं करके खसरा नम्बर 1253 गै. मु. नदी के नक्शे में शामिल कर दिया जाना स्पष्टतः प्रकट होता है। उक्त 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि (लगभग 0.41 हैक्टेयर) खसरा नम्बर 1253 के नक्शे में तरमीम कर खातेदारों के नाम वापस दर्ज किये जाने की स्पष्ट अभिषंशा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई हैं। पटवारी हल्का लिसाडिया व तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अभिशंषा रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होना प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136, 131 एल0 आर0 एक्ट स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 12:44:09 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136, 131 एल0 आर0 एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम लिसाडिया

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

तहसील श्रीमाधोपुर के पुराने भूमि खसरा नम्बर 840 कुल रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल रकबा 0.4375 हैक्टर भूमि में से सड़क मे गया रकबा 0.875 हैक्टर व खातेदारी मे रहा खसरा नम्बर 1092 रकबा 0.13 हैक्टर कुल रकबा 0.22 हैक्टर व शेष रकबा जो कम हुआ रकबा 0.22 हैक्टर व खसरा नम्बर 841 का रकबा 18 बिस्वा जिसका क्षेत्रफल 0.2250 हैक्टर जिसमें सड़क में गयी 0.0375 हैक्टर भूमि व शेष बची भूमि 0.1875 हैक्टर इस प्रकार 0.22 + 0.1875 कुल 0.4075 हैक्टर भूमि जो पुराने नक्शे खसरा नम्बर 840 व 841 के अनुसार नवीन खसरा नम्बर 1253 अर्थात पुराने नक्शे अनुसार जिसे संलग्न नक्शा ट्रेस मे पेंसिल से दर्शाया गया है, को प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं तथा इसी अनुसार नक्शे में तरमीम किए जाने की भी स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे पारित निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में तरमीम की जाकर रिकार्ड को दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दपतर हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 09.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 12:44:09 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी